न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारीः उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 30/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

जीसीएमएस नं0 2016/00078

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

राधेश्याम आत्मज कान्हा जाति तेली निवासी चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवन्टन) नियम 1970

उपस्थिति

1. श्री बृजराज सिंह चौहान राजकीय अभिभाषक
2. श्री बी0सी0 मालवीय अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक –30/11/2021

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटी अप्रार्थी राधेश्याम आत्मज कान्हा तेली निवासी चेचट को ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 476 की रकबा 0.28 हे0 भूमि दिनांक 07.07.1982 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत निरस्त कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 12.4.2016 को पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री बी0सी0 मालवीय उपस्थित । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन निरस्त योग्य होने से आवंटन निरस्ती का प्रकरण भिजवाया गया है । यदि अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त किया जा रहा है तो कब्जा काश्त की जांच अपेक्षित है ।

4. वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ही बहस में कथन किया है कि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा दिनांक 7.7.1982 को भूमि का आवंटन नियमों के अन्तर्गत किया गया तथा आवंटन नियमों के अन्तर्गत अप्रार्थी को खसरा नम्बर 476 रकबा रकबा 0.28 हे0 भूमि वाके ग्राम चेचट तह0 रामगंजमण्डी आवंटित की गई जिस पर आवंटन तिथि से ही अप्रार्थी कब्जे काश्त में चला आ रहा है । अप्रार्थी (आवंटी) द्वारा उक्त आवंटन भूमिहीन व्यक्ति होने के आधार पर बिना किसी कपटपूर्ण तरीके से आवंटन प्रक्रिया के तहत आवंटन करवाया गया था । स्वयं प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी को आवंटन नियम 18(4) के अन्तर्गत आवंटित भूमि का आवंटन तिथि से 3 वर्ष की अवधि के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर देने चाहिये थे लेकिन तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गयी इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि बाधित अयुक्तियुक्त विलम्ब के बाद प्रस्तुत किये जाने के कारण मेन्टेनेबल नहीं है । प्रार्थी तह0 रामगंजमण्डी द्वारा अप्रार्थी को भूमि का आवंटन दिनांक 7.7.1982 को किया गया जिसको 38 वर्ष से अधिक समय हो चुका है । उक्त लम्बी अवधि के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के विरुद्व कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि प्रार्थी को

जिला कलक्टर
कोटा

स्वतः ही 3 वर्ष पश्चात ही खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर देने चाहिये थे, आवंटन तिथि से ही अप्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है जिस पर अप्रार्थी द्वारा चारा घांस अपने पालतू जानवरों के लिये करता चला आ रहा है तथा अभी उक्त भूमि पर सोयाबीन की फसल काश्त हो रही है । पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.2.2016 की है जो आवंटन तिथि से 34 वर्ष बाद की है जो बिना अप्रार्थी एवं गवाहान की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है जो विश्वसनीय नहीं है । इएलिये केवल पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है । अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भू राजस्व आवंटन नियम 14(4) निरस्त किये जाने की कृपा करें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्ती का प्रकरण प्रेषित किया है । इसके विपरीत आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त होने की पुष्टि में खसरा खसरा गिरदावरी संवत 2076 की पेश की गई जिसमें सोयाबीन की फसल होना अंकित है । अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की पुष्टि मैं प्रस्तुत खसरा गिरदावरी अनुसार कब्जा काश्त की पुष्टि मात्र संवत 2076 में ही होती है । इससे पूर्व आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है या नहीं ? आवंटित भूमि पर आवंटी का ही का है अथवा अन्य का । आवंटन पश्चात भूमि सुपुर्द की है या नहीं ? आदि बिन्दुओं की जांच अपेक्षित है । मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट अनुसार ही समुचित कार्यवाही हेतु प्रकरण पुनः तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित मानते है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी आवंटी को ग्राम चेचट के ख0नं0 476 रकबा 0.28 हे0 दिनांक 7.7.1982 को आवंटित भूमि की मौका स्थिति की जांच करें कि आवंटी का कब्जा कब कब रहा है तथा मौके पर कब्जा काश्त आवंटी का है अथवा नहीं ? अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है अथवा नहीं ? आदि बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच उपरान्त अप्रार्थी आवंटी का कब्जा काश्त साबित होने की स्थिति में यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

7. **निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।**

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा